न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 43 / 2020
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 23.11.2020 निर्णय दिनांक : 20.03.2025

अनवान

1. मांगीलाल पिता नारू जी जाति गुर्जर
2. रमेश पिता नारू जी जाति गुर्जर
3. सोहन पिता नारू जी जाति गुर्जर
4. देवीलाल पिता नारू जी जाति गुर्जर

सभी निवासीयान भूतिया की भागल तहसील गढबोर (चारभुजा) जिला राजसमंद (राज०)

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. नारू पिता भूरा जी जाति गुर्जर उम्र 81 वर्ष भूतिया की भागल तहसील गढबोर (चारभुजा) जिला राजसमंद (राज०) हाल निवासी चतरा भी गुड़ा
2. उपपजींयक महोदय, सरदारगढ तहसील आमेट जिला राजसमंद आमेट
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थीगण की ओर से :– अधिवक्ता गिरिश चन्द्र पुरोहित

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बल्ला चांच का गुडा पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद मे प्रार्थीगण की पैतृक काश्त की भूमियां स्थित है जिसके खाता संख्या नया 36 पुराना 37 के आराजी नम्बर 10, 13 से 19, 2, 20, 21, 22, 24 से 27, 3 से 9 कुल किता 23 रकबा 7.2475 हैक्टेयर है। उपरोक्त काश्त की भूमियां पुर्व मे प्रार्थीगण के दादाजी श्री भूरा जी के नाम दर्ज होकर पुश्तैनी भूमियां थी भूरा जी के निधन के पश्चात उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई जिनमें से विपक्षी सं. 01 प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 02 के पिता श्री नारू जी के नाम भूरा जी की विरासत से उनका 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ हैं। उक्त भूमियों में प्रार्थीगण एवं विपक्षी स. 02 जन्म से ही अपना हक रखते है, चूंकि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 02 को कोपार्सनर होकर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 की कोपार्सनिक सम्पति होकर इनके सहअंशधारी है। प्रार्थीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

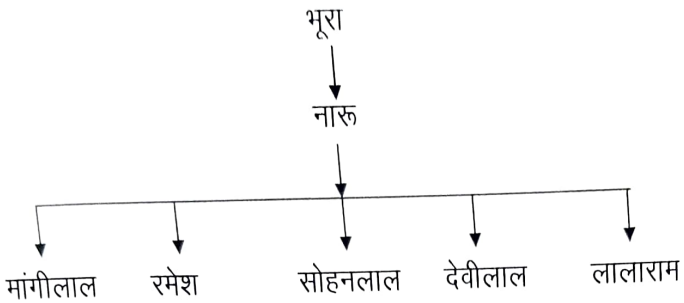

विपक्षी नारू पिछले काफी समय से प्रार्थीगण को जबरन उनके हक अधिकार की भूमि से वंचित कर देना चाहता है और मौरूसी भूमि होने तथा प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 2 का प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ठ में वर्णित भूमियों में कोपार्सनर अधिकार होने तथा जन्म से हित निहित होने के बावजूद प्रार्थीगण के दादा स्व० भूरा जी की सम्पति को खुर्द बुर्द कर रहन बय अन्तरण करनें पर आमादा हो गये है और उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करते हुए प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 02 के हक आशायश की भूमि को अजनबी व्यक्तियों को विक्रय कर अन्तरण करने की धमकिया दे रहे है और प्रतिदिन नये नये अजनबी लोगो को मौके पर लाकर बिना प्रार्थीगण की सहमति के उनके हक आशयश की भूमि को बाला बाला विकय इत्यादि प्रकार से अन्तरण करने पर आमादा है जिसका की उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही हैं। वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा निहित है, जिसमें प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 02 का अपने दादा स्व. भूरा जी की विरासत से प्रत्येक प्रार्थी एवं विपक्षी सं0. 02 का 1/3 में से 1/6 हिस्सा बनता हैं, यानि की 5/6 हिस्सा प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 02 का एवं 1/6 हिस्सा ही विपक्षी सं. 01 का बनता हैं। उसके बावजूद विपक्षी सं. 1 भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर कुलिया 1/3 हिस्सा रहन बय अन्तरण आदि प्रकार से खुर्द बुर्द करने पर आमादा हैं अगर विपक्षी सं. 01 इस प्रकार भूमि अन्तरित कर देगा तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 02 के हक अधिकारों जो कि उन्हे मौरूसी हक से विरासतन प्राप्त होने वाले है पर कुठाराघात होगा इस प्रकार प्रार्थीगण अपने हक से महरूम नही होवे तथा प्रार्थीगण अपनी भूमियों को लेने के कानूनन अधिकारी होकर अपने मौरूसी हक से प्राप्त होने वाली भूमि को प्राप्त करने के प्राप्त विकल्प के तौर पर यह घोषणा का वाद आप न्यायलय में सादर प्रस्तुत कर रहे है साथ ही चूंकि विपक्षी सं. 01 भूमि अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा कर रहन बय मुन्तकिल पर आमादा होने से विपक्षी सं. 01 व विपक्षी सं. 03 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करना न्यायहित में नितान्त आवश्यक हो गया है। इसी निमित यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं एवं जंहा तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है, यदि वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण खुर्द बुर्द कर राजस्व रेकार्ड अन्य के नाम हस्तान्तरित कर देगं तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमियों में विपक्षी सं. 01 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में प्रार्थी एवं विपक्षी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा घोषित फरमाया जाकर प्रार्थी के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में विपक्षी के नाम

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

घोषित होने वाले हिस्से को विलोपित कर प्रार्थी एवं विपक्षी को सहखातेदार कृषक घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेखो मे अंकित करवाया जावें दौराने प्रार्थना पत्र विपक्षी किसी अन्य को भूमि अन्तरण न करे इस हेतु विपक्षी को मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखते हुये विपक्षी संख्या 02 पंजीयन न करने बाबत् पाबन्द किया जावे एवं दौराने वाद उक्त प्रकार के कार्य न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण के बाद तामिल नोटिस अप्राप्त। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रवेश न करने, विपक्षीगण अन्य किसी को भूमि अन्तरण नही करने का आदेश दिया जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम बल्ला चांच का गुडा पटवार हल्का आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद मे स्थित खाता संख्या नया 36 पुराना 37 के आराजी नम्बर 10, 13 से 19, 02, 20, 21, 22, 24 से 27, 03 से 09 कुल किता 23 रकबा 7.2475 हैक्टेयर भूमि के संबंध में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षीगण को प्रार्थीगण के हिस्से तक प्रवेश न करने, विपक्षीगण अन्य किसी को भूमि अन्तरण नही करने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **20.03.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)